न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

ग्रामीण सेवा शिविर 2025 शिविर स्थल—देवड़ा

राजस्व आवेदन संख्या :—237 / 2025

प्रार्थिनीः—

छगनीदेवी उर्फ सजनो पत्नी वरदीसिंह उर्फ वरदाराम जाति पुरोहित निवासी देवड़ा तहसील समदड़ी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थिनीः—

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदड़ी जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—श्री गौतमसिंह राजपुरोहित
प्रार्थिनी वकील

—:: आदेश ::— दिनांक :—24.10.2025

प्रार्थिनी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत पेश किया है। संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिनी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 182, 85, 86, 181, 37, 40, 417, 421, 783 / 495, 84, 963 / 493 ग्राम देवड़ा व खसरा संख्या 225, 217 व 228 ग्राम दुर्गापुरा तहसील समदड़ी में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थिनी काबिज होकर काश्त करती आ रही हैं। प्रार्थिनी के अन्य समस्त दस्तावेजात—यथा आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, पेन कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र व ग्राम पंचायत देवड़ा द्वारा जारी प्रमाण पत्र में उसका वास्तविक नाम छगनीदेवी पत्नी वरदीसिंह ही अंकित है, किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में त्रुटिवश प्रार्थिनी का नाम छगनीदेवी पत्नी वरदीसिंह के स्थान पर सजनो पत्नी वरदाराम लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थिनी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रही है। अतः प्रार्थिनी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र [illegible] कर [illegible] नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार समदड़ी ने ग्रामीण [illegible] शिविर में मौका जॉच रिपोर्ट पेश की। प्रार्थिनी ने दस्तावेजी साक्ष्य में अपने आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, [illegible] कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र व ग्राम पंचायत देवड़ा [illegible] जारी प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.28 17:09:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

दौराने बहस प्रार्थिनी ने निवेदन किया कि उसका वास्तविक नाम छगनीदेवी पत्नी वरदीसिंह है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थिनी का त्रुटिवश

नाम सजनो पत्नी वरदाराम लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थिनी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रही है। अतः प्रार्थिनी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने की अधिकारी है।

हमने प्रार्थिनी की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थिनी के आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, पेन कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र व ग्राम पंचायत देवड़ा द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजात में उनका नाम छगनीदेवी पत्नी वरदीसिंह दर्ज है। तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थिनी का वास्तविक नाम छगनीदेवी पत्नी वरदीसिंह होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में उनका नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम देवड़ा के खसरा संख्या 182, 85, 86, 181, 37, 40, 417, 421, 783/495, 84, 963/493 व ग्राम दुर्गापुरा के खसरा संख्या 225, 217 व 228 भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिनी का नाम 'सजनो पत्नी वरदाराम' के स्थान पर 'छगनीदेवी उर्फ सजनो पत्नी वरदीसिंह' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदड़ी को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 24.10.2025 को ग्रामीण सेवा शिविर 2025 शिविर स्थल देवड़ा में सरे आम सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.28 17:09:31 IST
Reason: SelfAttested